न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 82/2016/दावा

1. रिछपाल पुत्र रामदेवा राम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान ।

—वादी

ब ना म

1. दीपाराम उम्र 43वर्ष
2. झूंथाराम उम्र 36 वर्ष

} पुत्रगण रामदेव जाति जाट निवासीगण चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

3. पटवारी हल्का, लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर ।
5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवा राम सुण्डा वकील वादी की ओर से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 उपस्थित ।
3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 का नाम हजफ ।

दिनांक 09.07.2016

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

रिछपाल बनाम दीपाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 82/दावा सन् 2016 **निर्णय** दिनांक 09.07.2016

अंतिम डिकरी व मुकद्में इब्तदाइ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी श्री हरदेवा राम सुण्डा मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है व आराजियात ख.नं. 444, रकबा 3.37 हैक्टर, ख. नं. 445 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.नं. 446 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 447 रकबा 0.06 हैक्टर ख.नं. 449 रकबा 0.31 हैक्टर, व ख.नं. 450 रकबा 0.88 हैक्टर किता 6 कुल रकबा 4.65 है0 सम्पूर्ण तन ग्राम चारणवास (नाडा) पटवार मण्डल लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रेकार्ड दुरूस्ती की जावे । बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09, जुलाई, 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
				0	00
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	–			
मीजान	5	00	मीजान		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 82/2016/दावा

1. रिछपाल पुत्र रामदेवा राम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान ।

–वादी

ब ना म

1. दीपाराम उम्र 43वर्ष
2. झूंथाराम उम्र 36 वर्ष

} पुत्रगण रामदेव जाति जाट निवासीगण चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

3. पटवारी हल्का, लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर ।
5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवा राम सुण्डा वकील वादी की ओर से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 उपस्थित ।
3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 का नाम हजफ ।

निर्णय दिनांक 09.07.2016

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 444 रकबा 3.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.88 हैक्टर किता 6 कुल करबा 4.74 हैक्टर वाके ग्राम चारणवास (नाडा) पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है । उक्त भूमियां पूर्व में वादी के पिता रामदेवाराम के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को नुकसान पंहुचाने व उसका हिस्सा हडपने की गरज से दिनांक 27.12. 1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने नाम करवा ली । जब कि उक्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर यानि 1/3, 1/3 हिस्सा रहा है । उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम रहने पर इन्होंने उपरोक्त भूमियों में से 0.09 हैक्टर भूमि का बेचान मेवाराम पुत्र केशाराम जाट निवासी फागलवा को कर दिया है अतः उक्त हिस्से से अब वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का कोई लेनादेना नही रहा है अब शेष रकबा 4.65 हैक्टर में से जो पैतृक सम्पत्ति है में वादी अपने हिस्से 1/3 हक प हिज्ञो की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 5 स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम हजफ करने बाबत वकील वादी ने निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया । वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम हजफ करने की स्वीकृति प्रदान की गई । तथा प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

. वाद पत्र की सुनवाई के दौरान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य दिनांक 09.07.2016 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया । राजीनामें में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से निवेदन किया गया कि पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है इसलिए वाद पत्र में वर्णित इश्तदुआ के अनुसार वाद पत्र डिकी कर दिया जावे ।

4. बहस उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषणगण की सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नये आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 3.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.88 हैक्टर किता 6 कुल करबा 4.65 हैक्टर वाके ग्राम चारणवास (नाडा) पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है । का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जावें । इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की प्रार्थना की ।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम चारणवास (नाडा) पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 3.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.88 हैक्टर किता 6 कुल करबा 4.65 हैक्टर भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्तियां रही है अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 3.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.88 हैक्टर किता 6 कुल करबा 4.65 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है । तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो ।

6. यह आदेश आज दिनांक 09.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ